(b) the percentage of the best grade coal of total production from both underground and open cast mines; and

(c) details of efforts being made to increase best grade quality of coal especially from underground mines?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) The details of gradewise coal production both from underground mines and opencast mines in the country during 1995-96 are as under:—

	(million tonnes)
Coking Coal	40.10
Non-Coking	
Grade A	4.76
B	20.22
C	53.65
D	37.40
E	39.68
F	74.31
G	0.01
	230.03
TOTAL	270.13

(b) The percentage of the coking coal as well as superior grade of non-coking coal (A,B&C) from both underground and opencast mines is 43.95% of the total raw coal production during 1995-96.

(c) Details of efforts being made to increase best grade quality of coal especially from underground mines are as under:—

(i) Opening up of new mines and increasing efficiency and productivity in existing mines by modernisation, application of new technologies and ensuring timely availability of inputs and infrastructural facilities.

(ii) The capital base of Coal India Limited has been restructured to enable it to raise from the capital market additional financial resources which are required to add to new coal production capacity.

(iii) Co-ordination on continuous basis with the Railways is maintained to remove transportation bottlenecks in such coalfield areas which have potential for enhanced production.

(iv) Private sector companies engaged in production of iron and steel, cement and generation of power have been permitted to take up coal mining for their own use. This is expected to increase domestic coal production.

महाराष्ट्र में बाल-श्रम प्रणाली के उन्मूलन हेतु योजना

1729. **श्री सूर्यभान पाटील वडाडणे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के कुछ जिलों में बाल-श्रम प्रणाली के उन्मूलन की कोई योजना बनाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों का नाम एवं उनमें की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाल-श्रम प्रणाली के उन्मूलन की राह में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम इस समय महाराष्ट्र सहित 11 बाल श्रम बहुल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जोखिमकारी व्यवायों में कार्यरत बालकों को कार्य से हटा कर विशेष स्कूलों में डाला जाता है जहां उन्हें गैर पारम्परिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख और वजीफा प्रदान किया जाता है। 74 विशेष स्कूलों के माध्यम से 3677 कामकाजी बालकों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र राज्य में थाणे और शोलापुर जिलों के लिए

राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान राज्य में 24 विशेष स्कूलों में 200 बच्चों को दाखिला दिलाया गया है।

(ग) और (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों और व्यवसायों में बालकों को नियोजित करने वाले नियोजकों को अभियोजित किया जा सकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए 1995-96 के दौरान 415 नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन चलाये गये।

Grants-in-aid to NGOs under different schemes

1730. PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the total amount of money given to various NGOs in the country as grants-in-aid schemes of the Ministry during the last five years; and

(b) which is the name of the monitoring agency or the system evolved to monitor these schemes?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The total amount of money given to various NGOs in the country during the last five years is as below:

	(Rs. in crores)
1991-92	19.36
1992-93	33.52
1993-94	48.02
1994-95	74.56
1995-96	67.67

(b) The Government of India and the State Governments/UTs monitor the implementation of the schemes and the performance of the NOGs through a system of inspections and half-yearly reports.

हैवी इंजीनियरिंग निगम को चालू करने के लिए अधिगृहीत की गई भूमि

1731. **श्री ज्ञान रंजन:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.ई.सी. को चालू करने के समय जमत्राथपुर, कंट, धुर्वा, तपंजी, हड़सर सहित 33 गांवों की 8871.4 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी;

(ख) क्या विस्थापित 591 परिवारों के किसी भी व्यक्ति को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है;

(ग) क्या इस समय एच.ई.सी. का सम्पर्क प्रकोष्ठ तथा समुदाय विकास कार्य नहीं चल रहे हैं;

(घ) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विस्थापित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने तथा विस्थापित गांवों में समुदाय विकास कार्य करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरसोली मारन): (क) बिहार सरकार ने एच.ई.सी. की स्थापना के लिए 7199.53 एकड़ भूमि अधिगृहीत की थी, जिसमें से 316.19 एकड़ भूमि बिहार सरकार ने अन्य उद्देश्यों के लिए वापस ले ली थी और एच.ई.सी. के पास 688.34 एकड़ भूमि शेष बची थी।

(ख) एच.ई.सी. ने प्रति विस्थापित परिवार एक व्यक्ति की दर से रोजगार उपलब्ध कराया था। इस मामले की जांच शंकरन समिति (1977) द्वारा भी की गई थी तथा उसकी सिफारिशों के अनुरूप, 193 ऐसे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जिन्होंने प्रबंधन से अनुरोध किया था।

(ग) संपर्क कक्ष अब कार्य नहीं कर रहा है। सामुदायिक विकास कार्य चल रहा है।

(घ) और (ङ) एच.ई.सी. में बेशी जनशक्ति है। कम्पनी में स्वैच्छिक सेवा निवृति स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। अतः, यह और रोजगार देने की स्थिति में नहीं है।